रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 156] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 1, 2003/चैत्र 11, 1925

No. 156] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 1, 2003/CHAITRA 11, 1925

वित्त एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2003

सं. 53/2003-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 277 (अ).—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, एतद्द्वारा निर्यात एवं आयात नीति के पैराग्राफ 3.7.2.1 (vi) के तहत जारी किए गए शुल्क मुक्त हकदारिता क्रेडिट प्रमाणपत्र (जिसे इसके बाद उक्त प्रमाणपत्र कहा जाएगा) के तहत भारत में आयातित माल पर छूट प्रदान करती है :-

(क) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के तहत उस पर उद्ग्रहणीय समस्त सीमाशुल्क से,

(ख) उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत उस पर उद्ग्रहणीय समस्त अतिरिक्त शुल्क से ; और

(ग) उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3क के तहत उस पर उद्ग्रहणीय समस्त विशेष अतिरिक्त शुल्क से ;

निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, नामतः :-

(1) यह कि उक्त प्रमाणपत्र निर्यात एवं आयात नीति के पैरा 3.7.2 में विनिर्दिष्ट किसी हैसियत धारक को लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो ;

(2) यह कि उक्त प्रमाणपत्र और इसके तहत आयातित माल को न तो हस्तांतरित किया जाएगा और न बेचा जाएगा ;

बशर्ते कि जहां माल का आयात मर्चेंट निर्यातक द्वारा उन सहायक निर्माता(ओं) के साथ मिलकर किया जाता है जिनका नाम और पता लाइसेंस पर लिखा हुआ हो तो उक्त माल का उपयोग उक्त सहायक निर्माता(ओं) द्वारा किया जा सकता है ।

(3) पूंजीगत माल के संबंध में, क्षेत्राधिकारी उपायुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अथवा किसी स्वतंत्र चार्टर्ड अभियन्ता से, जैसा भी मामला हो, एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाता है जिसमें इस बात की पुष्टि की गई होती है कि पूंजीगत माल का अधिष्ठापन एवं प्रयोग आयातक की फैक्ट्री अथवा परिसरों में आयात की तिथि से छह महीने के भीतर अथवा बढ़ाई गई उस अवधि के भीतर किया गया हो जिसकी उपायुक्त, तिथि शुल्क अथवा सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क द्वारा अनुमति दी जाए ।

बशर्ते कि जहां पूंजीगत माल का आयात मर्चेंट निर्यातक द्वारा सहायक निर्माता(ओं) के साथ मिलकर किया जाता है तो पूंजीगत माल को उक्त सहायक निर्माता(ओं) की फैक्ट्री अथवा परिसरों में अधिष्ठापित किया जा सकता है ;

(4) यह कि उक्त प्रमाणपत्र लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है और इसे माल पर उद्ग्रहणीय शुल्कों के विकलन के लिए निकासी के समय सीमाशुल्क के समुचित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है परन्तु जो इस छूट के कारण अनुज्ञेय है ;

बशर्ते कि शुल्क से छूट उस दशा में लागू नहीं होगी जब माल पर उद्ग्रहणीय शुल्क के विकलन के लिए उक्त प्रमाणपत्र में पर्याप्त जमा रकम नहीं है परन्तु जो इस छूट के कारण अनुज्ञेय है ;

(5) यह कि उक्त प्रमाणपत्र के तहत आयात मुम्बई, कोलकाता, कोचीन, मगदल्ला, काकीनाड़ा, कांडला, मंगलौर, मारमागोआ, मद्रास, नावा शिवा, पारादीप, पीपावव, सिक्का, तुतीकोरीन, विशाखापट्नम, दाहेज, नागापट्टिनम, ओखा और मुन्द्रा स्थित समुद्री पत्तनों के द्वारा या अहमदाबाद, बंगलौर, भुवनेश्वर, मुम्बई, कोलकाता, कोयम्बतूर, दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, मद्रास, श्रीनगर, त्रिवेंद्रम, वाराणसी, नागपुर और कोचीन स्थित किसी विमानपत्तन द्वारा या आगरा, बंगलौर, कोयम्बतूर, दिल्ली, फरीदाबाद, गुवाहटी, गुन्टूर, हैदराबाद, जयपुर, जालन्धर, कानपुर, लुधियाना, मुरादाबाद, नागपुर, पिम्परी (पुणे), पीतमपुर (इन्दौर), सूरत, तिरूपुर, वाराणसी, नासिक, रूद्रपुर (नैनीताल), दिघी (पुणे), वड़ोदरा, दौलताबाद (वंज़ारवाड़ी और मालीवाड़ा), वालुज (औरंगाबाद), अनापार्थी (आन्ध्र प्रदेश), सेलम, सिंगनालुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अहमदाबाद, भिवाड़ी और मदुरई, गढ़ी हसारू, भीलवाड़ा और पांडिचेरी स्थित किसी अन्तरदेशीय कंटेनर डिपो द्वारा या रानाघाट, सिंहबाद और रक्सोल स्थित भूमि सीमाशुल्क स्टेशनों के माध्यम से किए जाते हैं :-

व्याख्या :- इस अधिसूचना में, -

(i) "पूंजीगत माल" का अर्थ निर्यात एवं आयात नीति के पैराग्राफ 9.10 में निर्दिष्ट इसके अर्थ से है ;

(ii) "माल" का अर्थ है -

(क) पूंजीगत माल ;

(ख) कार्यालय उपकरण (कम्प्यूटर प्रणाली, साफ्टवेयर, फैक्स मशीन, टेलीफोन सहित); और

(ग) कच्चे माल, संघटक अन्तर्वर्ती सामग्री उपभोज्य सामान और कृषि एवं दुग्ध उत्पादों से भिन्न पूर्जे ;

(iii) "निर्यात एवं आयात नीति" का अर्थ भारत सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचना संख्या 1 (आरई 2002) /2003, दिनांक 31 मार्च, 2003 द्वारा प्रकाशित एवं समय-समय पर यथा-संशोधित निर्यात एवं आयात नीति 2002-2007 से है ;

(iv) " लाइसेंसिंग प्राधिकारी" का अर्थ विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 22) की धारा 6 के तहत नियुक्त किए गए महानिदेशक, विदेश व्यापार अथवा उनके द्वारा उक्त अधिनियम के तहत लाइसेंस देने के लिए प्राधिकृत किए गए किसी अधिकारी से है ।

[फा. सं. 605/1/2003-प्रतिअदायगी]

आलोक झा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st April, 2003

No. 53/2003-CUSTOMS

G.S.R. 277 (E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts goods when imported into India against a duty free entitlement credit certificate (hereinafter referred to as the said cerficate) issued under paragraph 3.7.2.1 (vi) of the Export and Import Policy,-

(a) from the whole of the duty of customs leviable thereon under the First Schedule to the Customs Tariff Act 1975 (51 of 1975);

(b) from the whole of the additional duty leviable thereon under sub-section (1) of section 3 of the said Customs Tariff Act; and

(c) from the whole of the special additional duty of customs leviable thereon under section 3A of said Customs Tariff Act,

subject to the following conditions, namely

(1) that the said certificate has been issued by the licensing authority to a status holder specified in para 3.7.2 of the Export and Import Policy;

(2) that the said certificate and goods imported against it shall not be transferred or sold:

Provided that where the goods are imported by a merchant exporter having supporting manufacturer(s) whose name and address is specified on the license, the said goods may be utilised by the said supporting manufacturer(s).

(3) that in respect of capital goods, a certificate from jurisdictional Deputy Commissioner of Central Excise, Assistant Commissioner of Central Excise or an independent Chartered Engineer, as the case may be, is produced confirming installation and use of capital goods in the importer's factory or premises, within the six month from the date of imports or within such extended period as the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs may allow:

Provided that where the capital goods are imported by a merchant exporter having supporting manufacturer(s), the capital goods may be installed in the factory or premises of the said supporting manufacturer(s);

(4) that the said certificate shall be produced before the proper officer of customs at the time of clearance for debit of the duties leviable on the goods but for this exemption:

Provided that exemptions from duty shall not be admissible if there is insufficient credit in the said license for debiting the leviable on the goods but for this exemption;

(5) that the imports against the said certificate are undertaken through sea ports at Mumbai, Kolkata, Cochin, Magdalla, Kakinada, Kandla, Mangalore, Marmagoa, Madras, Nhava Sheva, Paradeep, Pipavav, Sikka, Tuticorin, Visakhapatnam, Dahej, Nagapattinam, Mundhra and Okha or through any of the airports at Ahmedabad, Bangalore, Bhubaneswar, Mumbai, Kolkata, Coimbatore, Delhi, Hyderabad, Jaipur, Madras, Srinagar, Trivandrum, Varanasi, Nagpur and Cochin or through any of the Inland Container Depots at Agra, Bangalore, Coimbatore, Delhi, Faridabad, Gauhati, Guntur, Hyderabad, Jaipur, Jallandhar, Kanpur, Ludhiana, Moradabad, Nagpur, Pimpri (Pune), Pitampur (Indore), Surat, Tirupur, Varanasi, Nasik, Rudrapur (Nainital), Dighi (Pune), Vadodara, Daulatabad, (Wanjarwadi and Maliwada), Malanpur, Waluj (Aurangabad), Anaparthy (Andhra Pradesh), Salem, Singanalur, Jodhpur, Kota, Udaipur, Ahmedabad, Bhiwadi, Madurai, Bhilwara, Pondicherry and Garhi Harsaru or through the Land Customs Stations at Ranaghat, Singhabad and Raxaul.

Explanation :- In this notification,-

(i) "Capital Goods" has the same meaning as assigned to it in paragraph 9.10 of the Export and Import Policy,-

(ii) "goods" means,-

(a) capital Goods;
(b) office equipment (including Computer systems, Software, Fax/ machine, Telephone); and
(c) raw materials, components, intermediates, consumables and parts other than agricultural and dairy products;

(iii) "Export and Import Policy" means the Export and Import Policy 2002-2007, published by the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry vide notification No.1(RE:2003), dated the 31st March 2003 as amended from time to time;

(iv) "Licensing Authority" means the Director General of Foreign Trade appointed under section 6 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act,1992 (22 of 1992) or an officer authorised by him to grant a license under the said Act.

[F. No. 605/1/2003-DBK]

ALOK JHA, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2003

सं. 54/2003-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 278 (अ).—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, एतद्द्वारा अतिरिक्त सामानों, कार्यालय उपकरणों एवं फर्नीचर, व्यावसायिक उपकरणों एवं उपभोज्य पदार्थों को , परन्तु कृषि एवं दुग्ध उत्पादों को छोड़कर निर्यात एवं आयात नीति के पैराग्राफ 3.8 के तहत जारी शुल्क मुक्त सेवा हकदारिता क्रेडिट प्रमाणपत्र (जिसे इसके बाद उक्त प्रमाणपत्र कहा जाएगा) के तहत भारत में आयातित किए जाने पर छूट प्रदान करती है :-

(क) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के तहत उस पर उद्ग्रहणीय समस्त सीमाशुल्क से,

(ख) उक्त सीमाशुल्क टैरिफ़ अधिनियम की धारा 3 के उप-धारा (1) के तहत उस पर उद्ग्रहणीय समस्त अतिरिक्त शुल्क से ; और

(ग) उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3क के तहत उस पर उद्ग्रहणीय समस्त विशेष अतिरिक्त शुल्क से ;

निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, नामतः :-

(1) यह कि सेवा उपलब्धकर्ता को उक्त प्रमाणपत्र लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है और इसे माल पर उद्ग्रहणीय शुल्कों के विकलन के लिए निकासी के समय सीमाशुल्क के समुचित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है परन्तु जो इस छूट के कारण अनुज्ञेय है ;

बशर्ते कि शुल्क से छूट उस दशा में लागू नहीं होगी जब माल पर उद्ग्रहणीय शुल्क के विकलन के लिए उक्त प्रमाणपत्र में पर्याप्त जमा रकम नहीं है परन्तु जो इस छूट के कारण अनुज्ञेय है ;

(2) यह कि उक्त प्रमाणपत्र और इसके तहत आयातित माल को न तो हस्तांतरित किया जाएगा और न बेचा जाएगा ;

(3) व्यावसायिक उपकरणों के संबंध में, क्षेत्राधिकारी उपायुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अथवा किसी स्वतंत्र चार्टर्ड अभियन्ता से, जैसा भी मामला हो, एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाता है जिसमें इस बात की पुष्टि की गई होती है कि पूंजीगत माल का अधिष्ठापन एवं प्रयोग आयातक की फैक्ट्री अथवा परिसरों में आयात की तिथि से छह महीने के भीतर अथवा बढ़ाई गई उस अवधि के भीतर किया गया हो जिसकी उपायुक्त, सीमा शुल्क अथवा सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क द्वारा अनुमति दी जाए ।

(4) यह कि उक्त प्रमाणपत्र के तहत आयात मुम्बई, कोलकाता, कोचीन, मगदल्ला, काकीनाड़ा, कांडला, मंगलौर, मारमागोआ, मद्रास, नावा शिवा, पारादीप, पीपावव, सिक्का, तुतीकोरीन, विशाखापट्नम, दाहेज, नागापट्टिनम, ओखा और मुन्द्रा स्थित समुद्री पत्तनों के द्वारा या अहमदाबाद, बंगलौर, भुवनेश्वर, मुम्बई, कोलकाता, कोयम्बतूर, दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, मद्रास, श्रीनगर, त्रिवेंद्रम, वाराणसी, नागपुर और कोचीन

स्थित किसी विमानपत्तन द्वारा या आगरा, बंगलौर, कोयम्बतूर, दिल्ली, फरीदाबाद, गुवाहटी, गुन्टूर, हैदराबाद, जयपुर, जालन्धर, कानपुर, लुधियाना, मुरादाबाद, नागपुर, पिम्परी (पुणे), पीतमपुर (इन्दौर), सूरत, तिरूपुर, वाराणसी, नासिक, रूद्रपुर (नैनीताल), दिघी (पुणे), वड़ोदरा, दौलताबाद (वंजारवाड़ी और मालीवाड़ा), वालुज (औरंगाबाद), अनापार्थी (आन्ध्र प्रदेश), सेलम, सिंगनालुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अहमदाबाद, भिवाड़ी और मदुरई, गढ़ी हसारू, भीलवाड़ा और पांडिचेरी स्थित किसी अन्तरदेशीय कंटेनर डिपो द्वारा या रानाघाट, सिंहबाद और रक्सोल स्थित भूमि सीमाशुल्क स्टेशनों के माध्यम से किए जाते हैं :-

व्याख्या :- इस अधिसूचना में, -

(i) "निर्यात एवं आयात नीति" का अर्थ भारत सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचना संख्या 1 (आरई 2002) /2003, दिनांक 31 मार्च, 2003 द्वारा प्रकाशित एवं समय-समय पर यथा-संशोधित निर्यात एवं आयात नीति 2002-2007 से है ;

(ii) " लाइसेंसिंग प्राधिकारी" का अर्थ विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 22) की धारा 6 के तहत नियुक्त किए गए महानिदेशक, विदेश व्यापार अथवा उनके द्वारा उक्त अधिनियम के तहत लाइसेंस देने के लिए प्राधिकृत किए गए किसी अधिकारी से है ।

[फा. सं. 605/1/2003-प्रतिअदायगी]

आलोक झा, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st April, 2003

No. 54/2003-CUSTOMS

G.S.R. 278 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts spares, office equipments and furniture, professional equipments and consumables but excluding agricultural and dairy products, when imported into India against a duty free service entitlement credit certificate (hereinafter referred to as the said certificate) issued under paragraph 3.8 of the Export and Import Policy, -

(a) from the whole of the duty of customs leviable thereon under the First Schedule to the Customs Tariff Act 1975 (51 of 1975),

(b) from the whole of the additional duty leviable thereon under sub-section (1) of section 3 of the said Customs Tariff Act, and

(c) from the whole of the special additional duty of customs leviable thereon under section 3A of the said Customs Tariff Act,

subject to the following conditions, namely :-

(1) that the said certificate has been issued to a service provider by the licensing authority and it is produced before the proper officer of customs at the time of clearance for debit of the duties leviable on the goods but for this exemption:

Provided that exemption from duty shall not be admissible if there is insufficient credit in the said certificate for debiting the duties liviable on the goods but for this exemption;

(2) that the said certificate and goods imported against it shall not be transferred or sold;

(3) in respect of professional equipments, a certificate from jurisdictional Deputy Commissioner of Central Excise, Assistant Commissioner of Central Excise or an independent Chartered Engineer, as the case may be, is produced confirming installation and use of capital goods in the importer's factory or premises, within six months from the date of imports or within such extended period as the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of customs May allow,

(4) that the imports against the said certificate are undertaken through sea ports at Mumbai, Kolkata, Cochin, Magdalla, Kakinada, Kandla, Mangalore, Marmagoa, Madras, Nhava Sheva, Paradeep, Pipavav, Sikka, Tuticorin, Visakhapatnam, Dahej, Nagapattinam, Mundhra and Okha or through any of the airports at Ahmedabad, Bangalore, Bhubaneswar, Mumbai, Kolkata, Coimbatore, Delhi, Hyderabad, Jaipur, Madras, Srinagar, Trivandrum, Varanasi, Nagpur and Cochin or through any of the Inland Container Depots at Agra, Bangalore, Coimbatore, Delhi, Faridabad, Gauhati, Guntur, Hyderabad, Jaipur, Jallandhar, Kanpur, Ludhiana, Moradabad, Nagpur, Pimpri (Pune), Pitampur (Indore), Surat, Tirupur, Varanasi, Nasik, Rudrapur (Nainital), Dighi (Pune), Vadodara, Daulatabad, (Wanjarwadi and Maliwada), Malanpur, Waluj (Aurangabad), Anaparthy (Andhra Pradesh), Salem, Singanalur, Jodhpur, Kota, Udaipur, Ahmedabad, Bhiwadi, Madurai, Bhilwara, Pondicherry and Garhi Harsaru or through the Land Customs Stations at Ranaghat , Singhabad and Raxaul :-

Explanation :-In this notification ,-

(i) "Export and Import Policy" means the Export and Import Policy 2002-2007, published by the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry vide notification No.1(RE:2002)/ 2003, dated the 31st March 2003 as amended from time to time;

(ii) "Licensing Authority" means the Director General of Foreign Trade appointed under section 6 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act,1992 (22 of 1992) or an officer authorised by him to grant a license under the said Act.

[F. No. 605/1/2003-DBK]
ALOK JHA, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2003

सं. 55/2003-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 279 (अ).— सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, इससे उपाबद्ध सारणी में विनिर्दिष्ट माल को, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट उस पर उद्ग्रहणीय उतनी सीमाशुल्क से, जो मूल्य के 5 प्रतिशत की दर से संगणित रकम से अधिक है और उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 या 3क के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय क्रमशः संपूर्ण अतिरिक्त शुल्क और विशेष शुल्क से छूट देती है ।

2. इस अधिसूचना के तहत छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए होगी, अर्थात् :-

(1) आयातित माल, निर्यात और आयात नीति के अध्याय 5 के निबंधनों के अनुसार निर्यात संवर्धन पूंजी माल (नि.सं.पूं.मा.) स्कीम के अधीन जारी की गई किसी विधिमान्य अनुज्ञप्ति के अंतर्गत आता है, जिसके द्वारा 5 प्रतिशत शुल्क की दर से माल का आयात अनुज्ञात किया गया है और उक्त अनुज्ञप्ति निकासी के समय समुचित सीमाशुल्क अधिकारी द्वारा विकलन के लिए प्रस्तुत की जानी है ;
परन्तु उक्त सारणी में निर्दिष्ट अतिरिक्त पुर्जों के आयात के लिए अनुज्ञप्ति की विधिमान्य अवधि वह अवधि मानी जाएगी जो संपूर्ण आयात बाध्यता को पूरा करने के लिए अनुज्ञात की गई हो ।

(2) आयातकर्ता से ऐसे प्ररूप में और ऐसी राशि के लिए ऐसे प्रतिभू या प्रतिभूति सहित जो सहायक सीमाशुल्क आयुक्त या उप-सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, पोत पर्यन्त निशुल्क आधार पर आयातित माल पर बचाए गए शुल्क के आठ गुने के बराबर, जैसा कि अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट है या ऐसी उच्चतर राशि के लिए, जो अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा नियत की जाए, निम्नलिखित अनुपात में अनुज्ञप्ति के जारी किए जाने की तारीख से आठ वर्ष की अवधि के भीतर, स्वयं को आबद्ध करते हुए एक बंधपत्र निष्पादित करता है, अर्थात् :-

क्रम सं.	अनुज्ञप्ति के जारी किए जाने की तारीख से अवधि	कुल निर्यात बाध्यता का अनुपात
1.	2.	3.
1.	पहले और दूसरे वर्ष का ब्लॉक	शून्य
2.	तीसरे और चौथे वर्ष का ब्लॉक	15 प्रतिशत
3.	पांचवे और छठे वर्ष का ब्लॉक	35 प्रतिशत
4.	सातवें और आठवें वर्ष का ब्लॉक	50 प्रतिशत

परन्तु जहां बचाया गया शुल्क 100 करोड़ रूपये से कम न हो अथवा जहां कृषि निर्यात जोन में इकाइयों को लाइसेंस जारी किया जाता है, जैसा कि लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित किया जाता है, वहां निर्यात बाध्यता लाइसेंस जारी किए जाने की तारीख से 12 वर्षों की अवधि के भीतर निम्न अनुपातों में पूरी की जाएगी, अर्थात् :-

क्रम सं.	अनुज्ञप्ति के जारी किए जाने की तारीख से अवधि	कुल निर्यात बाध्यता का अनुपात
1.	2.	3.
1.	पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवे वर्ष का ब्लॉक	शून्य
2.	छठे, सातवें और आठवें वर्ष का ब्लॉक	15 प्रतिशत
3.	नौवें और दसवें वर्ष का ब्लॉक	35 प्रतिशत
4.	ग्यारवें और बारहवें वर्ष का ब्लॉक	50 प्रतिशत

परन्तु कि जहां कोई रूग्ण इकाई औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा अधिसूचित है अथवा जहां रूग्ण इकाई के संबंध में इसके पुनर्संजीवन के लिए संबंधित राज्य सरकार द्वारा कोई पुनर्वास स्कीम घोषित की जाती है, वहां निर्यात बाध्यता निर्यात और आयात नीति के पैराग्राफ 5.5.1 की शर्तों के अनुसार पूरी की जाएगी ।

परन्तु किसी विशिष्ट ब्लॉक वर्ष की निर्यात बाध्यता को पूर्ववर्ती ब्लॉकों में किए गए अधिक निर्यातों द्वारा मंजूर किया जा सकेगा :

(3) आयातकर्ता, अनुज्ञप्ति के जारी किए जाने की तारीख से दो वर्ष के प्रत्येक ब्लॉक की समाप्ति से तीस दिन के भीतर या ऐसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर जो सहायक सीमाशुल्क आयुक्त या उप-सीमाशुल्क आयुक्त अनुज्ञात करें, सहायक सीमाशुल्क आयुक्त या उप-सीमाशुल्क आयुक्त को समाधान प्रद रूप में पूरी की गई निर्यात बाध्यता का परिणाम दर्शित करने से संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत करता है और जहां दो वर्षों के किसी विशिष्ट ब्लॉक की निर्यात बाध्यता पूर्ववर्ती शर्त के निबंधनों के अनुसार पूरी नहीं की गई है, वहां आयातकर्ता, उक्त ब्लॉक की समाप्ति से तीन मास भीतर उतनी रकम का, जो यदि इसमें अंतर्विष्ट छूट न दी गई होती तो, माल पर उद्ग्रहणीय शुल्क के उस भाग के बराबर का जिसका वही अनुपात है जो निर्यात बाध्यता को पूरा न किए गए भाग का कुल निर्यात बाध्यता से है, माल की निकासी की तारीख से 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर सहित संदाय करेगा :

(4) आयातित, समंजित या विनिर्मित पूंजी माल आयातकर्ता के कारखाने या परिसर में संस्थापित किए जाते हैं और अधिकारिता वाले यथास्थिति सहायक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त या उप उत्पाद शुल्क आयुक्त या किसी स्वतंत्र चार्टरित इंजीनियर से आयातकर्ता के कारखाने या परिसरों में पूंजी माल के संस्थापन और उपयोग की पुष्टि करने वाला एक प्रमाण-पत्र, आयात के पूरा होने की तारीख से छह मास के भीतर या ऐसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर जो उक्त सहायक सीमाशुल्क आयुक्त या उप सीमाशुल्क आयुक्त अनुज्ञात करे, प्रस्तुत किया जाता है,-

(i) ऐसा विनिर्माता निर्यातकर्ता और वणिक निर्यातकर्ता जिसके समर्थक विनिर्माता/विक्रेता हो ;

(ii) कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए संविदा कृषि में उपयोग के लिए सिंचाई उपस्करों का आयात ; और

(iii) इम्पोर्टर रेंडरिंग सर्विसेस की दशा में, पूंजी माल, किसी ऐसे अन्य व्यक्ति(यों) के कारखाने में या परिसर में संस्थापित किया जा सकेगा जिसका नाम और पता शर्त (1) में निर्दिष्ट अनुज्ञप्ति पर पृष्ठांकित किया गया है और जहां आयातकर्ता और ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा शुल्क के पूर्ण अंतर के लिए बंधपत्र, शर्त (2) के निबंधनानुसार जहां-कहीं आवश्यक है, बैंक प्रत्याभूति सहित निष्पादित किया गया है और ऐसे विनिर्माता या अन्य व्यक्ति निर्यात बाध्यता को और इस अधिसूचना की अन्य सभी शर्तों को पूरा करने के लिए और व्यतिक्रम की दशा में 15 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित शुल्क का संदाय करने के लिए स्वयं को संयुक्त रूप से एवं पृथक रूप से आबद्ध करते हैं ।

(5) आयात और निर्यात मुम्बई, कोलकाता, कोचीन, मगदल्ला, काकीनाड़ा, कांडला, मंगलौर, मारमागोआ, मद्रास, नावा शिवा, पारादीप, पीपावव, सिक्का, तुतीकोरीन, विशाखापट्नम, दाहेज, नागापट्टिनम, औखा और मुन्द्रा स्थित समुद्री पत्तनों के द्वारा या अहमदाबाद, बंगलौर, भुवनेश्वर, मुम्बई, कोलकाता, कोयम्बतूर, दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, मद्रास, श्रीनगर, त्रिवेंद्रम, वाराणसी, नागपुर और कोचीन स्थत किसी विमानपत्तन द्वारा या आगरा, बंगलौर, कोयम्बतूर, दिल्ली, फरीदाबाद, गुवाहटी, गुन्टूर, हैदराबाद, जयपुर, जालन्धर, कानपुर, लुधियाना, मुरादाबाद, नागपुर, पिम्परी (पुणे), पीतमपुर (इन्दौर), सूरत, तिरूपुर, वाराणसी, नासिक, रूद्रपुर (नैनीताल), दिघी (पुणे), वड़ोदरा, दौलताबाद (वंजारवाड़ी और मालीवाड़ा), वालुज (औरंगाबाद), अनापार्थी (आन्ध्र प्रदेश) , सेलम, मालनपुर, सिंगनालुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अहमदाबाद, भिवाड़ी और मदुरई, गढ़ी हसारू, भीलवाड़ा और पांडिचेरी स्थित किसी अन्तरदेशीय कंटेनर डिपो द्वारा या रानाघाट, सिंहबाद और रक्सोल स्थित भूमि सीमाशुल्क स्टेशन द्वारा किया जाता है

(6) शर्त (3) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां अनुज्ञापन प्राधिकारी, निर्यात बाध्यता को पूरा करने वाली अवधि अथवा किसी ब्लॉक(कों) को बढ़ाया जाना मंजूर करता है या ऐसी निर्यात बाध्यता में 2 वर्ष तक की अवधि में पांच प्रतिशत से अनधिक की कमी को नियमित करता है, वहां निर्यात बाध्यता को पूरा करने की उक्त अवधि को बढ़ाया जा सकेगा और सहायक सीमाशुल्क आयुक्त या उप सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा माफ की गई निर्यात बाध्यता की उक्त कमी मंजूर की जा सकेगी :

परन्तु जहां बचाया गया शुल्क 100 करोड़ रूपये से कम न हो और उपर्युक्त शर्त (2) के दूसरे उपबंध में यथाविनिर्दिष्ट रूग्ण इकाइयों के संबंध में, वहां समग्र रूप से निर्यात बाध्यता अवधि में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी :

3. जहां माल दोषपूर्ण या उपयोग के लिए अनुपयुक्त पाया जाता है वहां उक्त माल का उसके आयात किए जाने पर शुल्क के संदाय की तारीख से 3 वर्ष के भीतर विदेशी प्रदायकर्ता को वापिस पुनःनिर्यात किया जा सकेगा :

परन्तु यह कि निर्यात के समय सहायक सीमाशुल्क आयुक्त या उप-सीमाशुल्क आयुक्त के समाधान प्रद रूप में यह पहचान कर ली जाती है कि यह वही माल है जिसका कि आयात किया गया था ।

सारणी

क्रम संख्या	माल का वर्णन
1.	2.
1.	उत्पादन पूर्व, उत्पाद और उत्पाद के पश्चात् के लिए पूंजीगत वस्तुएं जिसमें 10 साल तक के पुराने पूंजीगत माल शामिल है ।
2.	एसकेडी/सीकेडी दशा में पूंजीगत वस्तुएं जिन्हें आयातक द्वारा पूंजीगत वस्तुओं में संयोजित किया जाना है ।
3.	आयातक द्वारा संयोजन अथवा पूंजीगत वस्तुओं के लिए अपेक्षित पूंजीगत वस्तुओं के संघटक ।
4.	क्रम सं. 1, 2 और 3 में विनिर्दिष्ट वस्तुओं के फालतू पुर्जे जैसाकि यथा आयातित, संयोजित अथवा विनिर्मित पूंजीगत वस्तुओं के अनुरक्षण के लिए अपेक्षित हैं और जिनका वास्तविक रूप से आयात किया गया है ।
5.	लाइसेंस धारक के मौजूदा संयंत्र और मशीनरी के लिए फालतू पुर्जे ।

स्पष्टीकरण : इस अधिसूचना में, -

(1) "पूंजीगत माल" का तात्पर्य वही है जैसाकि इसे निर्यात और आयात नीति के पैराग्राफ 9.10 में दिया गया है ।

(2) "निर्यात और आयात नीति" से भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना सं. 1/2003, तारीख 31 मार्च, 2003 द्वारा प्रकाशित निर्यात और आयात नीति 2002-2007 अभिप्रेत है ;

(3) "अनुज्ञापन प्राधिकारी" से विदेश व्यापार विकास और विनियमन 1992 (1992 का 22) की धारा 6 के अधीन नियुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार या उसके द्वारा उक्त अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी अभिप्रेत है ;

(4) "निर्यात बाध्यता" से, -

(i) ऐसे आयातकर्ताओं के संबंध में, उनसे भिन्न जो सेवाएं दे रहे हैं, ऐसा निर्यात अभिप्रेत है जो इस अधिसूचना के निबंधनों के अनुसार, आयातित, समंजित या विनिर्मित पूंजी माल का उपयोग करके विनिर्मित उत्पादों का भारत के बाहर किसी स्थान को निर्यात करते है ;

परन्तु कि निर्यात बाध्यता निम्नोक्त द्वारा भी पूरी की जाए :-

(क) इसी उत्पाद का निर्यात करना जिसका उत्पाद उक्त पूंजीगत माल का प्रयोग करके ही किया जा सके ; अथवा

(ख) इसी उत्पाद का निर्यात करना जो लाइसेंस धारक के भिन्न-भिन्न एककों में तैयार किया गया हो ; अथवा

(ग) किसी निर्यातक द्वारा किसी तीसरे पक्ष के माध्यम से किए गए निर्यातों अथवा लाइसेंसधारक की ओर से किसी उत्पादनकर्ता द्वारा किए गए इसी उत्पाद के निर्यात संबंधी मामलों में, अन्य बातें के साथ-साथ लदान बिलों में तीसरे पक्ष तथा लाइसेंसधारक के नामों का उल्लेख भी किया जाना चाहिए ; और

(घ) उप-पैरा (क), (ख), (घ), (ङ.), (च), (छ), (ज), (झ) तथा (ञ) तथा निर्यात आयात नीति के पैरा 8.2 की शर्तों के अनुसार इसी उत्पाद की आपूर्ति करना ।

(ii) सेवाएं देने वाले आयातकर्ताओं के संबंध में ऐसी पूंजी मालों का उपयोग करके दी गई सेवाओं के लिए मुक्त रूप से संपरिवर्तनीय विदेशी करेंसी में संदायों को प्राप्त करना अभिप्रेत है ।

परन्तु कि निर्माता निर्यातक और सेवा देने वाले के रूप में लाइसेंस धारक इकाइयों के संबंध में, निर्यात बाध्यता था तो खंड (i) में निर्दिष्ट उत्पादों के निर्यात द्वारा अथवा ऐसी पूंजीगत वस्तुओं के प्रयोग के माध्यम से दी गई सेवाओं के लिए मुक्त रूप से परिवर्तनीय विदेशी करेंसी में अदायगियां प्राप्त करके पूरी की जाएगी ।

[फा. सं. 605/1/2003-प्रतिअदायगी]

आलोक झा, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st April, 2003

No. 55/2003-CUSTOMS

G.S.R. 279 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts goods specified in the Table annexed hereto from so much of the duty of Customs leviable thereon which is specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51of 1975) as is in excess of the amount calculated at the rate of five percent ad- valorem and from the whole of the additional duty and special additional duty leviable thereon respectively under sections 3 and 3A of the said Customs Tariff Act.

2. The exemption under this notification shall be subject to the following conditions namely:-

(1) that the goods imported are covered by a valid licence issued under the Export Promotion Capital Goods (EPCG) Scheme in terms of Chapter 5 of the Export and Import Policy permitting import of goods at the rate of five percent duty and the said licence is produced for debit by the proper officer of customs at the time of clearance:
Provided that for import of spare parts specified at Sr.No.4 of the said Table, the validity period of the licence shall be deemed to be the period permitted for fulfilment of the export obligation in full;

(2) that the importer executes a bond in such form and for such sum and with such surety or security as may be specified by the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs binding himself to fulfil export obligation on FOB basis equivalent to eight times the duty saved on the goods imported as may be specified on the licence, or for such higher sum as may be fixed by the Licensing Authority, within a period of eight years from the date of issue of licence, in the followlng proportions, namely:-

S.No.	Period from the date of issue of licence	Proportion of total export obligation
(1)	(2)	(3)
1.	Block of 1st and 2nd year	Nil
2.	Block of 3rd and 4th year	15%
3.	Block of 5th and 6th year	35%
4.	Block of 7th and 8th year	50%

Provided that where the duty saved is not less than Rs.100 crores, or where the licence is issued to units in the agri export zone as may be notified by the licensing authority, the export obligation shall be fulfilled with a period of twelve years from the date of issue of licence in the following proportions, namely:-

S.NO.	Period from the date of licence	Proportion of total export obligation
(1)	(2)	(3)
1.	Block of 1^{st}, 2^{nd}, 3^{rd}, 4^{th} and 5^{th} year	Nil
2.	Block of 6^{th}, 7^{th} and 8^{th} year	15%
3.	Block of 9^{th} and 10^{th} year	35%
4.	Block of 11^{th} and 12^{th} year	50%

Provided further that where a sick unit is notified by the Board for Industrial and Financial Reconstruction or where a rehabilitation scheme is announced by the concerned State Government in respect of sick unit for its revival, the export obligation may be fulfilled in terms of Paragraphs 5.5.1 of the Export and Import Policy.

Provided also that export obligation of a particular block may be set off against the excess exports made in the said preceding block(s);

(3) that the importer produces within 30days from the expiry of each block from the date of issue of licence or within such extended period as the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs may allow, evidence to the satisfaction of the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs showing the extent of export obligation fulfilled , and where the export obligation of any particular block is not fulfilled in terms of the preceding condition, the importer shall within three months from the expiry of the said block pay duties of customs of an equal amount equal to that portion of duties leviable on the goods but for the exemption contained herein which bears the same proportion as the unfulfilled portion of the export obligation bears to the total export obligation together with interest at the rate of 15 % per annum from the date of clearance of the goods;

(4) that the capital goods imported, assembled or manufactured are installed in the importer's factory or premises and a certificate from the jurisdictional Deputy Commissioner of Central Excise or Assistant Commissioner of Central Excise or an independent Chartered Engineer, as the case may be, is produced confirming installation and use of capital goods in the importer's factory or premises, within six months from the date of completion of imports or within such extended period as the said Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs may allow:

Provided that in the case of ,-

(i) manufacturer exporter and merchant exporter having supporting manufacturer (s) or vendor(s);

(ii) Import of irrigation equipment for use in contract farming for export of agricultural products; and

(iii) importer rendering services;

the capital goods may be installed at the factory or premises of such other person whose name and address are endorsed on the licence referred to in condition (1) and where the bond for full difference of duty, if necessary, in terms of condition (2) , with a bank guarantee is executed by the importer and such other person binding themselves jointly and severally to fulfil the export obligation and all other conditions of this notification and to pay duty with interest at the rate of 15% per annum in case of default;

(5) that the imports and exports are undertaken through sea ports at Mumbai, Kolkata, Cochin, Magdalla, Kakinada, Kandla, Mangalore, Marmagoa, Madras, Nhava Sheva, Paradeep, Pipavav, Sikka, Tuticorin, Visakhapatnam, Dahej, Mundhra, Nagapattinam and Okha or through any of the airports at Ahmedabad, Bangalore, Bhubaneswar, Mumbai, Kolkata, Coimbatore, Delhi, Hyderabad, Jaipur, Madras, Srinagar, Trivandrum, Varanasi, Nagpur and Cochin or through any of the Inland Container Depots at Agra, Bangalore, Coimbatore, Delhi, Faridabad, Gauhati, Guntur, Hyderbaad, Jaipur, Jallandhar, Kanpur, Ludhiana, Moradabad, Nagpur, Pimpri (Pune), Pitampur (Indore), Surat, Tirupur, Varanasi, Nasik, Rudrapur (Nainital), Dighi (Pune), Vadodara, Dauladtabad, (Wanjarwadi and Maliwada), Waluj (Aurangabad), Anaparthy (Andhra Pradesh), Salem, Malanpur, Singanalur, Jodhpur, Kota, Udaipur, Ahmedabad, Bhiwadi, Madurai, Bhilwara, Pondicherry and Garhi Harsaru or through the Land Customs Station at Ranaghat , Singhabad and Raxaul:

(6) notwithstanding anything contained in condition (3) above, where the Licensing Authority grants extension of block – wise period for any block(s) or overall period of fulfillment of export obligation upto a period of two years or regularization of shortfall in export obligation, not exceeding five percent of such export obligation, the said block-wise period or overall period of export obligation shall be extended/ condoned by the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, as the case may be:

Provided that where the duty saved is not less than Rs.100 crores and in respect of sick units as specified in the second proviso to condition (2) above, extension of overall period of export obligation shall not be allowed.

3. Where the goods specified in the said Table are found defective or unfit for use, the said goods may be re-exported back to the foreign supplier within 3 years from the date of payment of duty on the importation thereof:

Provided that at the time of re-export the goods are identified to the satisfaction of the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs as the goods which were imported.

Table

S.NO.	Description of goods
(1)	(2)
1.	Capital goods for pre production, production and post production including second hand capital goods upto 10 years old.
2.	Capital goods in SKD/CKD conditions to be assembled into capital goods by the importer.
3.	Components of capital goods required for assembly or manufacture of capital goods by the importer.
4.	Spare parts of goods specified at Serial Nos.1,2,and 3 as actually imported and required for maintenance of capital goods so imported, assembled, or manufactured.
5	Spares for the existing plant and machinery of the licence holder.

Explanation - In this notification,-

(1) "Capital Goods" has the same meaning as assigned to it in Paragraph 9.10 of the Export and Import Policy;

(2) "Export and Import Policy" means the Export and Import Policy 2002-2007 published vide notification of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry, No.1/2003 dated the 31st March, 2003 as amended from time to time;

(3) "Licensing Authority" means the Director General of Foreign Trade appointed under section 6 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act,1992 (22 of 1992) or an officer authorised by him to grant a licence under the said Act;

(4) "export obligation", -

(i) in relation to importers other than those rendering services, means exports, to a place outside India, of products manufactured with the use of capital goods imported, assembled or manufactured in terms or this notification:

Provided that export obligation may also be fulfilled by ,-

(a) export of same products capable or being manufactured with the use of said capital goods; or

(b) export of same product manufactured in different units of the licence holder; or

(c) through third party exports made by an exporter or manufacturer on behalf of the licence holder by exporting the same product and in such cases, inter-alia the Shipping bills shall indicate name of both the third party and the licence holder; or

(d) making supplies of same product in terms of sub- paragraphs (a) (b) (d) (e) (f) (g) (h) (i) and (j) of paragraph 8.2 of the Export and Import Policy;

(ii) in relation to importers rendering services, means, receiving payments in freely convertible foreign currency for services rendered through the use of capital goods.

Provided that in respect of units holding license both as manufacturer exporter and service provider, the export obligation may be fulfilled either by export of products specified in clause (i) or by receiving payments in freely convertible foreign currency for services rendered through the use of such capital goods.

[F. No. 605/1/2003-DBK]
ALOK JHA, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2003

सं. 56/2003-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 280(अ).— केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, वार्षिक आवश्यकता के लिए अग्रिम अनुज्ञप्ति (जिसे इसके बाद उक्त अनुज्ञप्ति कहा गया है) के अधीन भारत में आयात की गई सामग्री का निर्यात और आयात नीति के पैरा 4.1.7क के निबंधनों और शर्तों के वास्तविक उपयोक्ता सहित उस पर उद्ग्रहणीय समस्त सीमाशुल्क से, जो सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, और उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय समस्त अतिरिक्त शुल्क से, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए छूट देती है, अर्थात् :-

(1) यह कि उक्त लाइसेंस लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा निर्यात घराना, व्यापार घराना, स्टार व्यापार घराना अथवा सुपर स्टार व्यापार घराना जारी किए गए प्रमाण पत्र धारण करने वाले विनिर्माता निर्यातक अथवा मर्चेंट निर्यातक को जारी किया जाएगा ।

(2) यह कि उक्त लाइसेंस इसके विरूद्ध अनुमति दिए गए आयात के लागत बीमा भाड़ा मूल्य (सीआईएफ वेल्यू) निर्दिष्ट करने वाला निर्यात उत्पाद समूह और प्राप्त की जाने वाली निर्यात बाध्यता के पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य (एफओबी वेल्यू) के लिए जारी किया जाता है । उक्त लाइसेंस निर्यात उत्पाद के निर्माण में अपेक्षित किसी निविष्टि के आयात के लिए वैध होगा, जो निर्यात और आयात नीति की प्रक्रिया की पुस्तिका खंड-II में निर्दिष्ट उक्त निर्यात उत्पाद समूह के तहत आता है ;

(3) यह कि वास्तविक उपभोक्ता शुल्क छूट हकदारी प्रमाण पत्र (जिसे इसमें इसके बाद उक्त प्रमाण पत्र कहा गया है) इस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट रूप में लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा उक्त लाइसेंस धारक को जारी किया जाता है । आयात के समय मूल्य, मात्रा, तकनीकी विशेषताओं के पूर्ण ब्यौरे और उक्त लाइसेंस के विरूद्ध आयातित निविष्टियों के अन्य विवरण उचित अधिकरी द्वारा उक्त प्रमाण पत्र के भाग 'ग' में प्रविष्ट किए जाएंगे ।

(4) यह कि आयातकर्ता, के आयातित सामग्री की निकासी के समय ऐसी प्रतिभू या प्रतिभूति सहित ऐसे प्ररूप में और ऐसी राशि के लिए ऐसा बंधपत्र निष्पादित करता है जिसे उपायुक्त, सीमाशुल्क अथवा सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए जिसमें वह स्वयं को उद्ग्रहणीय शुल्क के बराबर राशि मांग करने पर उसका संदाय करने के लिए आबद्धकर करे, किन्तु ऐसी आयातित सामग्री की बाबत जिसके संबंध में इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट शर्तों का पालन नहीं किया गया है , छूट के लिए उक्त सामग्री की निकासी की तारीख से चौबीस प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर सहित राशि का संदाय करता है ;

परन्तु यह कि बंधपत्र संपूर्ण निर्यात बाध्यता के निर्मोचन के पश्चात् किए गए आयात के संबंध में आवश्यक नहीं होगा ;

(5) यह कि उक्त अनुज्ञप्ति और उक्त प्रमाणपत्र आकलन के लिए निकासी के समय समुचित सीमाशुल्क अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं ;

(6) आयात और निर्यात मुम्बई, कोलकाता, कोचीन, मगदल्ला, काकीनाड़ा, कांडला, मंगलौर, मारमागोआ, मद्रास, नावा शिवा, पारादीप, पीपावव, सिक्का, तुतीकोरीन, विशाखापट्नम, दाहेज, नागापट्टिनम, ओखा और मुन्द्रा स्थित समुद्री पत्तनों के द्वारा या अहमदाबाद, बंगलौर, भुवनेश्वर, मुम्बई, कोलकाता, कोयम्बतूर, दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, मद्रास, श्रीनगर, त्रिवेंद्रम, वाराणसी, नागपुर और कोचीन स्थत किसी विमानपत्तन द्वारा या आगरा, बंगलौर, कोयम्बतूर, दिल्ली, फरीदाबाद, गुवाहटी, गुन्टूर, हैदराबाद, जयपुर, जालन्धर, कानपुर, लुधियाना, मुरादाबाद, नागपुर, पिम्परी (पुणे), पीतमपुर (इन्दौर), सूरत, तिरूपुर, वाराणसी, नासिक, रूद्रपुर (नैनीताल), दिघी (पुणे), वड़ोदरा, दौलताबाद (वंजारवाड़ी और मालीवाड़ा), वालुज (औरंगाबाद), अनापार्थी (आन्ध्र प्रदेश) ,सेलम, मालनपुर, सिंगनालुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अहमदाबाद, भिवाड़ी और मदुरई, गढ़ी हसारू, भीलवाड़ा और पांडिचेरी स्थित किसी अन्तरदेशीय कंटेनर डिपो द्वारा या रानाघाट, सिंहबाद और रक्सोल स्थित भूमि सीमाशुल्क स्टेशन द्वारा किया जाता है ।

परन्तु यह कि सीमाशुल्क आयुक्त विशेष आदेश या सार्वजनिक सूचना द्वारा और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, किसी अन्य समुद्री पत्तन, वायु पत्तन या अन्तरदेशीय आधीन डिपो की मार्फत या किसी भू-सीमाशुल्क केन्द्र की मार्फत आयात और निर्यात को अनुज्ञात कर सकेगा ।

(7) निर्यात और आयात नीति के पैरा 2.28 के अधीन स्थापित प्राइवेट बंधित भाण्डागार गृह से आयातित सामग्रियों के साधन को अनुज्ञात किया जाएगा ;

(8) यह कि निर्यात बाध्यता उक्त लाइसेंस के जारी किए जाने की अट्ठारह महीने की अवधि के भीतर या इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि के भीतर जो अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा भारत में विनिर्मित अंतिम उत्पादों का निर्यात करके मंजूर की जाती हैं । निर्यात के समय, अंतिम उत्पाद (जिसे इसमें इसके पश्चात् अंतिम उत्पाद कहा गया है) के मूल्य, मात्रा तकनीकी विशेषताओं और अन्य विवरणों को उचित अधिकारी द्वारा उक्त प्रमाणपत्र के भाग 'ड.' में प्रविष्ट किया जाएगा ।

(9) यह कि आयातकर्ता उपायुक्त सीमाशुल्क अथवा सहायक सीमाशुल्क आयुक्त के समाधानप्रद रूप में निर्यात बाध्यता का, उसके पूरा करने के लिए अनुज्ञात अवधि की समाप्ति के तीस दिन की अवधि के भीतर या इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि के भीतर जो उक्त सहायक सीमाशुल्क आयुक्त अनुज्ञात करे, उन्मोचन करने का साक्ष्य प्रस्तुत करता है ;

(10) यह कि छूट प्राप्त सामग्री का निर्यात बाध्यता के उन्मोचन में उपयोग के सिवाए या ऐसी सामग्री की पुनः पूर्ति के सिवाए किसी अन्य रीति में व्ययन या उपयोग नहीं किया जाएगा और इस प्रकार पुनः पूर्ति सामग्री का किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय या अंतरण नहीं किया जाएगा ;

(11) विनिर्माता निर्यातक अथवा वाणिज्य निर्यातकर्ता को जारी किए गए उक्त प्रमाणपत्र के संबंध में,

(क) उक्त अनुज्ञप्ति में समर्थक विनिर्माता का नाम और पता विनिर्दिष्ट किया जाता है और उक्त प्रमाणपत्र तथा शर्त (4) के निबंधनों में आयातकर्ता द्वारा निष्पादित किया जाने वाला अपेक्षित बंधपत्र, वाणिज्य, निर्यातकर्ता और समर्थक निर्माता द्वारा इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट शर्तों का पालन करने के लिए उनको संयुक्त रूप से और पृथक रूप से आबद्ध करते हुए संयुक्त रूप से निष्पादित किया जाएगा ; और

(ख) छूट प्राप्त सामग्री का उपयोग शर्त (10) के निबंधनों में ऐसे समर्थक विनिर्माता के कारखाने में किया जाता है ;

स्पष्टीकरण : इस अधिसूचना में, -

(i) "निर्यात और आयात नीति" से भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना सं. 1/2003, तारीख 31 मार्च, 2003 द्वारा प्रकाशित समय-समय पर यथा-संशोधित निर्यात और आयात नीति 2002-2007 अभिप्रेत है ;

(ii) "अनुज्ञापन प्राधिकारी" से विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 22) की धारा 6 के अधीन नियुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार या उसके द्वारा उक्त अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति मंजूर करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी अभिप्रेत है ;

(iii) " सामग्री" से निम्नलिखित अभिप्रेत है -

(क) कच्ची सामग्री, संघटक, मध्यवर्ती उत्पाद, उपभोज्य वस्तुएं, कम्प्यूटर सोफ्टवेयर और उचित अधिकारी द्वारा जारी उक्त प्रमापत्र के भाग 'ड.' में विनिर्दिष्ट अंतिम उत्पाद के विनिर्माण के लिए अपेक्षित पुर्जे ;

(ख) अनुज्ञप्ति के मूल्य के 10 प्रतिशत की सीमा के किसी मूल्य के भीतर आवश्यक पुर्जे जो अंतिम उत्पाद के साथ निर्यात किए जाने अपेक्षित हैं ; और

(ग) अंतिम उत्पाद को पैक करने के लिए अपेक्षित पैकेजिंग सामग्री ;

अनुसूची

वास्तविक उपभोक्ता शुल्क छूट हकदारी प्रमाणपत्र

भाग - 1

(आयात)

(इसमें ---------- पृष्ठ हैं)

क्रम संख्या ---------- (आयात) जारी करने की तारीख ---------- रजिस्ट्रीकरण पत्तन ---------- (अनुज्ञप्तिधारी का नाम और पूरा पता)

को जारी किया गया

उपरोक्त अनुज्ञप्तिधारी को ---------- द्वारा जारी की गई अनुज्ञप्ति संख्या की ---------- तारीख ---------- के आधार पर आयातित और भारत सरकार के वित्त एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. ----------/सीमाशुल्क, तारीख ---------- में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए सीमाशुल्क से छूट की पात्र होगी ।

माल की सीमाशुल्क से निकासी से पूर्व, उक्त अधिसूचना के निबंधनों के अनुसार प्रतिभूति/प्रतिभू के साथ एक बंधपत्र निष्पादित किया जाएगा ।

हस्ताक्षर
अनुज्ञापन प्राधिकारी की मोहर
तारीख

भाग-क

उन कारखानों के नाम और पते जहां निर्यात के लिए परिणामी उत्पादों का विनिर्माण किया जाता है ।

भाग - ख

उन कारखानों के नाम और पते जहां निर्यात के लिए परिणामी उत्पादों के सहायक उपकरणों का विनिर्माण किया जाता है ।

भाग-ग

आयात की सामग्रियों की सूची

(क) इस प्रमाणपत्र के अधीन आयात की जाने वाली सामग्री

क्रम सं.	आयात की मद	क्वालिटी	तकनीकी लक्षण	मात्रा	लागत, बीमा और भाड़ा मूल्य भारतीय रुपए में और उसका समतुल्य अमरीकी डालर में	भाग ङ में परिणामी उत्पादों का क्रम संख्यांक
1	2	3	4	5	6	7

(ख) निर्यात उत्पाद में उपयोग किए जाने वाली अन्य आयातित सामग्रियां

क्रम सं.	वर्णन	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4

भाग-घ

सामग्री के आयात की विशिष्टियां

क्रम सं.	भाग "ग" में की सामग्री का सं.	प्रवेशपत्र संख्यांक तारीख और आयात सीमाशुल्क सदन	वर्णन	मात्रा और शुद्ध भार	लागत, बीमा और भाड़ा मूल्य	यदि छूट न होती तो उद्ग्रहणीय शुल्क सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची का शीर्ष सं. और अतिरिक्त शुल्क उद्ग्रहण के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की अनुसूची में शीर्ष सं.	शुल्क की दर	शुल्क की रकम	नाम, पद-नाम और मुद्रा सहित सीमाशुल्क अधिकारी के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(भाग ङ और भाग च इस डी ई ई सी के निर्यात भाग में दिए गए हैं)

भाग-छ

ऐसी सामग्री पर संदत्त शुल्क जिसकी दावत उक्त अधिसूचना की शर्तों का अनुपालन नहीं किया गया है।

क्रम. सं.	भाग घ में क्रम सं. जिसके अधीन सामग्री के आयात की प्रविष्टि की गई है	उस सामग्री का वर्णन, मात्रा और मूल्य, जिस पर शुल्क संदत्त किया गया है	उद्ग्रहणीय शुल्क की दर (i) आधारिक (ii) अतिरिक्त (iii) अन्य	(i) शुल्क (ii) ब्याज की रकम	उन दस्तावेजों की विशिष्टियां जिनके द्वारा शुल्क दिया गया	सीमाशुल्क अधिकारी के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7

वास्तविक उपभोक्ता शुल्क छूट हकदारी प्रमाणपत्र

भाग - 2

(निर्यात)

(इसमें ---------- पृष्ठ हैं)

क्रम संख्या ---------- (निर्यात) जारी करने की तारीख ---------- रजिस्ट्रीकरण पत्तन ---------- (अनुज्ञप्तिधारी का नाम और पूरा पता)

को जारी किया गया

उपरोक्त अनुज्ञप्तिकारी को, ---------- द्वारा जारी की गई अनुज्ञप्ति संख्याक ----------तारीख ---------- के आधार पर आयातित और इस प्रमाण-पत्र के भाग 'ग' की सूची (क) में विनिर्दिष्ट सामग्री की सूची के अंतर्गत आने वाली सामग्री, भारत सरकार के वित्त एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं.----------/सीमाशुल्क, तारीख ---------- में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए सीमाशुल्क से छूट की पात्र होगी ।

माल की सीमाशुल्क से निकासी से पूर्व, उक्त अधिसूचना के निबंधनों के अनुसार प्रतिभूति/प्रतिभू के साथ एक बंधपत्र निष्पादित किया जाएगा ।

हस्ताक्षर
अनुज्ञापन प्राधिकारी की मोहर
तारीख

भाग-क

उन कारखानों के नाम और पते जहां निर्यात के लिए परिणामी उत्पादों का विनिर्माण किया जाता है।

भाग-ख

उन कारखानों के नाम और पते जहां निर्यात के लिए परिणामी उत्पादों के सहायक उपकरणों का विनिर्माण किया जाता है।

(भाग-ग और भाग-घ इस डी ई ई सी के निर्यात भाग में दिए गए हैं)

भाग-ङ

परिणामी उत्पाद

क्रम सं.	वर्णन	क्वालिटी	तकनीकी लाभ	मात्रा	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य (रुपयों में, अमरीकी डालर में)	भाग ग में सामग्री का क्रम सं.
1	2	3	4	5	6	7

भाग च

निर्यात की विशिष्टियां

क्रम सं.	भाग ख में परिणामी उत्पाद की क्रम सं.	लदान के सीमाशुल्क गृह का नाम	लदान बिल संख्या एवं तारीख	जलयान का नाम और जलयान का वाह्य प्रविष्टि
1.	2.	3.	4.	5.

मात्रा	उत्पाद का विशुद्ध भार	लदान बिल के अनुसार वर्णन	पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य रूपये/अमरीकी डालर में	सीमाशुल्क अधिकारी का हस्ताक्षर, नाम, पदनाम और मोहर और अभ्युक्ति, यदि कोई हो ।
6.	7.	8.	9.	10.

भाग छ

किए गए आयात एवं निर्यातों का विवरण

किए गए आयात के ब्यौरे :-

क्रम संख्या	भाग-ग की क्रम संख्या	वर्णन	आयातित मात्रा	लागत, बीमा और भाड़ा मूल्य भारतीय रूपये में और उसका समतुल्य अमरीकी डॉलर में
1.	2.	3.	4.	5.

किए गए निर्यात के ब्यौरे

क्रम सं.	भाग ङ का क्रम सं.	वर्णन	निर्यातित मात्रा	पोत पर्यन्त नि:शुल्क मूल्य रुपए में उसका समतुल्य डालर में
1	2	3	4	5

1. मैं/हम घोषणा करता हूं/करते हैं कि इस विवरण में दी गई जानकारी सही है।

2. मैं/हम घोषणा करता हूं/करते हैं कि इस डी ई ई सी के अधीन किए गए निर्यात की बाबत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2002 के नियम ..... और नियम ..... के अधीन कोई फायदा नहीं लिया गया है।

हस्ताक्षर.....

हस्ताक्षरकर्ता का नाम .....

पदनाम .....

पूरा पता .....

चार्टर्ड एकाउटेंट/लागत लेखापाल द्वारा प्रमाण पत्र

मैंने आवेदक के फर्म के वास्तविक आयात और निर्यात की, जो ऊपर दिया गया है, जांच की है और उसे सही पाया है।

हस्ताक्षर.....

मुद्रा.....

सदस्यता सं.....

[फा. सं. 605/01/2003-प्रतिअदायगी]

आलोक झा, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st April, 2003

No. 56/2003-CUSTOMS

280

G.S.R. 280 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts materials imported into India against an Advance License for Annual Requirement (hereinafter referred to as the said license), with Actual User Condition in terms of Paragraph 4.1.7A of the Export and Import Policy from the whole of the duty of customs leviable thereon which is specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) and from the whole of the additional duty leviable thereon under section 3 of the said Customs Tariff Act, subject to the following conditions, namely,-

(1) that the said licence shall be issued to a manufacturer exporter or merchant exporter holding Export House, Trading House, Star Trading House or Super Star Trading House Certificate issued by the Licensing Authority.

(2) that the said licence is issued for an export product group specifying the Cost Insurance Freight Value (CIF value) of import permitted against it and the Free on Board Value (FOB value) of export obligation to be achieved. The said licence shall be valid for import of any input required for the manufacture of export product, which is covered under the said export product group specified in the Hand Book of Procedure Volume II of Export and Import Policy;

(3) that an Actual User Duty Exemption Entitlement Certificate (hereinafter referred to as the said certificate) is issued to the holder of the said licence by the Licensing Authority in the form specified in the Schedule annexed to this notification. At the time of import, the full details of value, quantity, technical characteristics and other particulars, of the inputs imported against the said licence shall be entered in part 'C' of the said certificate by the proper officer;

(4) that the importer at the time of clearance of the imported materials executes a bond with such surety or security and in such form and for such sum as may be specified by the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, binding himself to pay on demand an amount equal to the duty leviable, but for the exemption, on the imported materials in respect of which the conditions specified in this notification have not been compiled with, together with interest at the rate of fifteen per cent per annum from the date of clearance of the said materials:

Provided that the bond shall not be necessary in respect of imports made after the discharge of export obligation in full;

(5) that the said licence and the said certificate are produced before the proper officer of customs at the time of clearance for debit;

(6) that the imports and exports are undertaken through sea ports at Mumbai, Calcutta, Cochin, Magdalla, Kakinada, Kandla, Mangalore, Marmagoa, Madras, Nhava Sheva, Paradeep, Pipavav, Sikka, Tuticorin, Visakhapatnam, Dahej, Nagapattinam , Okha and Mundhra or through any of the airports at Ahmedabad, Bangalore, Bhubaneshwar, Mumbai, Kolkata, Coimbatore, Delhi, Hyderabad, Jaipur, Madras, Srinagar, Trivandrum, Varanasi, Nagpur and Cochin or through any of the Inland Container Depots at Agra, Bangalore, Coimbatore, Delhi, Faridabad, Gauhati, Guntur, Hyderabad, Jaipur, Jallandhar, Kanpur, Ludhiana, Moradabad, Nagpur, Pimpri (Pune), Pitampur (Indore), Surat, Tirupur, Varanasi, Nasik, Rudrapur (Nainital), Dighi (Pune), Vadodara, Daulatabad (Wanjarwadi and Maliwada), Waluj (Aurangabad), Anaparthy (Andhra Pradesh), Salem, Malanpur, Singanalur, Jodhpur, Kota, Udaipur, Ahmedabad, Bhiwadi, Madurai, Garhi Harsaru, Bhilwara and Pondicherry or through the Land Customs Station at Ranaghat, Singhabad and Raxaul.

Provided that the Commissioner of Customs may by special order or a public notice and subject to such conditions as may be specified by him, permit import and export through any other sea port, airport, or Inland Container Depot or through a land customs station;

(7) that sourcing of the imported materials from Private Bonded Warehouses set up under paragraph 2.28 of the Export and Import Policy would be allowed;

(8) that the export obligation is discharged within eighteen months from the date of issue of the said licence or within such extended period as may be granted by the Licensing Authority by exporting resultant products manufactured in India. At the time of export, the full details of value, quantity, technical characteristics, and other particulars, of the resultant export product (hereinafter referred to as resultant product) shall be entered in part 'E' of the said certificate by the proper officer;

(9) that the importer produces evidence of discharge of export obligation to the satisfaction of the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, within a period of 30 days of the expiry of period allowed for fulfilment of export obligation, or within such extended period as the said Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs], may allow;

(10) that the exempt materials shall not be disposed of or utilised in any manner except for utilisation in discharge of export obligation or for replenishment of such materials and the materials so replenished shall not be sold or transferred to any other person;

(11) that in relation to the said license issued to a manufacturer exporter or merchant exporter,-

(a) the name and address of the supporting manufacturer is specified in the said licence and the said certificate and the bond required to be executed by the importer in terms of condition (4) shall be executed jointly by the Merchant Exporter and the supporting manufacturer binding themselves jointly and severally to comply with the conditions specified in this notification; and
(b) exempt materials are utilised in the factory of such supporting manufacturer in terms of condition (10).

Explanation : In this notification, -

(i) "Export and Import Policy" means the Export and Import Policy 2002-2007, published vide notification of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry No. 1/2003, dated the 31st March, 2003, as amended from time to time;

(ii) "Licensing Authority" means the Director General of Foreign Trade appointed under section 6 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (22 of 1992) or an officer authorised by him to grant a licence under the said Act;

(iii) "materials" means, -

(a) raw materials, components, intermediates, consumables, computer software and parts required for manufacture of resultant product specified in Part " E" of the said certificate by the proper officer;

(b) mandatory spares within a value limit of 10% of the value of the licence which are required to be exported along with the resultant product; and

(c) packaging materials required for packing of resultant product.

THE SCHEDULE
ACTUAL USER DUTY EXEMPTION ENTITLEMENT CERTIFICATE

PART -1

(IMPORT)

(This consists of ..... Pages)
Sl. No.....(IMP) Date of issue.....Port of Registration ..... Issued to..... (name and full address of the licence).
Materials imported against licence No.....dated, ...issued by.....to the above licencee would be eligible for exemption from customs duties subject to the conditions specified in the

notification of the Government of India, Ministry of Finance and Company Affairs, Department of Revenue No..... Customs, dated the.....
Bond with security/surety in terms of the said notification shall be executed before clearance of the goods from the Customs.

Signature
Seal of Licensing Authority
Date :

PART – A

Name and addresses of the factories where the resultant products for export are manufactured.

PART-B

Name and addresses of factories where the ancillaries to the Resultant products for export are manufactured.

PART –C

List of Materials of Import

(a) MATERIALS TO BE IMPORTED UNDER THIS CERTIFICATE

Sl. No.	Item of Import	Quality	Technical-Characteristics
(1)	(2)	(3)	(4)

Quantity	CIF Value in indian Rs. and in equivalent to US $	S. No. of the resultant products in part E
(5)	(6)	(7)

(b) OTHER IMPORTED MATERIALS TO BE USED IN EXPORT PRODUCT

Sl. No.	Description	Quantity	Value
(1)	(2)	(3)	(4)

PART -D

Particulars of Import of Materials

Sl. No.	No. of the materials in Part-C	Bill of Entry No. date and Customs House of Import	Description	Quantity and Net weight
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

GIF	Duty leviable but for exemption	Signature of

Value	Heading No. of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 and Heading No. in the Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 for levy of Additional Duty	Rate of duty	Amount of duty	the Customs Officer with Name, Designation and Seal
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

(Parts E and F figure in the Export Part of this DEEC)

PART –G

Duties paid on materials in respect of which the conditions of said notification are not compiled with.

Sl.No.	Sl. No. in Part D under which the import of the materials has been entered	Description, Quantity and vaiue of materials on which duty paid	Rate of duty leviable (i) Basic (II) Additional (iii) Others
(1)	(2)	(3)	(4)

Amount of (I) Duty (ii) Interest	Particulars of duty paying documents	Signature of the Customs Officer
(5)	(6)	(7)

ACTUAL USER DUTY EXEMPTION ENTITLEMENT CERTIFICATE

PART-2

(EXPORT) (This consists of .....pages)
Sl. No.....(EXP) date of issue.....
Port of Registration.....
Issued to.....
..... (name *and* full address of the licencee).
Materials imported against Licence No..... .....dated..... issued by.....to the above licencee would be eligible for exemption from customs duties subject to the conditions specified in the notification of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue No.....Customs, dated the .....
A Bond with surety/security in terms of the said notification, shall be executed before clearance of the goods from the Customs.

Signature
Seal of licensing authority
Date :

PART-A

Name and addresses of the factories where the Resultant products for export are manufactured.

PART -B

Name and addresses of factories where the ancillaries to the Resultant products for export are manufactured.

(Part C and D figure in the Imports Part of this DEEC)

PART –E

Resultant products

Sl. No.	Description	Quality Technical	Characteristics
(1)	(2)	(3)	(4)

Quantity	FOB Value in Rs./US $	Sl. No. of the materials in Part-C
(5)	(6)	(7)

PART -F

Particulars of exports

Sl. No.	S. No. of the resultant product in Part-B	Name of the Custom House of Shipment	Shipping Bill No. and date	Name of the Vessel and outward entry of the vessel
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Quantity	Net weight of the product	Description as per the Shipping Bill	FOB value in Rs./US $	Signature of Customs Officer with name, designation and seal and remarks if any
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

PART -H

Statement of imports and exports made

Details of Imports made :

S. No	S.No.of Part-C	Description	Quantity imported	GIF Value in Rs./in equivalent toUS$
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Details of Exports made :

S.No.	S. Number in Part-E	Description	Quantity exported	FOB Value in Rs./in equivalent US $
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

1. I/We hereby declare that information given in this statement is correct.
2. I/We hereby declare that no benefit under rule _____ and Rule _____ of Central Excise Rules,2002 has been availed in respect of exports made under this DEEC.

Signature .....
Name of the Signatory.....
Designation.....
Full Address.....
Certificate of Chartered Account/Cost Accountant
I have examined the applicant firm's actual imports and exports as given above and find them as correct.
Signature.....
Seal.....
Membership No.....

[F. No. 605/01/2003-DBK]
ALOK JHA, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2003

सं. 57/2003-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 281 (अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान होने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, एतद्द्वारा यह निदेश देती है कि निम्न सारणी के कालम (2) में निर्दिष्ट भारत सरकार में पूर्ववर्ती वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की प्रत्येक अधिसूचना में और आगे संशोधन, उक्त सारणी के संगत कालम (3) में निर्दिष्ट तरीके से किया जाएगा, नामत: :—

सारणी

क्रम सं.	अधि. सं. एवं तारीख	संशोधन
1	2	3
1.	43/2002-सीमाशुल्क दि. 19 अप्रैल, 2002	उक्त अधिसूचना में, (i) शर्त (iv) के परन्तुक में, शब्दों ''विशेष आदेश द्वारा'' के लिए ''विशेष आदेश द्वारा अथवा सार्वजनिक सूचना द्वारा'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे; (ii) व्याख्या में, खण्ड (iii) में, उप-खण्ड (घ) के बाद निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, नामत: :— ''व्याख्या :—इस खण्ड के प्रयोजनार्थ, ''विनिर्माण'' वही अर्थ है जैसा निर्यात एवं आयात नीति के पैराग्राफ 9.30 में निर्दिष्ट है।''
2.	45/2002-सीमाशुल्क दि. 22 अप्रैल, 2002	उक्त अधिसूचना में, (i) शर्त (iv) में, दूसरे परन्तुक के बाद, निम्नलिखित परन्तुक को जोड़ा जाएगा, नामत: :— ''यह भी बताया गया है कि विशेष आर्थिक जोन (एस ई जैड) में एक इकाई की आपूर्ति के विरुद्ध जारी किए किए शुल्क हकदारी पास बुक के सम्बन्ध में यह शर्त वस्तुओं के आयात की अनुमति के प्रयोजनार्थ लागू होगी''; (ii) व्याख्या में, खण्ड (ii) के बाद, निम्नलिखित खण्ड जोड़े जाएंगे, नामत: :— '(iii) ''विशेष आर्थिक जोन (एस ई जैड)'' का वही अर्थ है जैसाकि निर्यात एवं आयात नीति के पैराग्राफ 9.48 में निर्दिष्ट है।'
3.	46/2002-सीमाशुल्क, दि. 22 अप्रैल, 2002	उक्त अधिसूचना में, (i) शर्त (ii) में, खण्ड (ख) में शब्दों ''पारिणामी उत्पाद'' के लिए शब्द ''परिणामी उत्पाद अथवा निर्यात और आयात नीति के पैराग्राफ 8.2 के निबंधनों में मानित निर्यात स्कीम'' के तहत की गई आपूर्ति के मामले में भारतीय रुपयों के मूल्य के साथ उत्पाद शुल्क सत्यापित बीजक संख्या (ओं) एवं तारीख (खों)'' को प्रतिस्थापित किया जाएगा; (ii) शर्त (iv) में, परन्तुक के बाद, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, नामत: :— ''और आगे बताया गया है कि निर्यात एवं आयात नीति के पैराग्राफ 8.2 के निबंधनों में मानित निर्यात स्कीम के तहत की गई आपूर्ति के मामले में सामग्रियों के आयात की अनुमति इस शर्त में विनिर्दिष्ट किसी समुद्री पत्तन, हवाई पत्तन, अन्तर्देशीय कंटेनर डिपुओं अथवा भू-सीमाशुल्क स्टेशनों से दी जाए।''
4.	47/2002-सीमाशुल्क दि. 22 अप्रैल, 2002	उक्त अधिसूचना में, (i) शर्त (6) में, शब्दों ''आयातों एवं निर्यातों'' जहां भी वे आते हैं, के लिए शब्द ''आयातों'' क्रमश: प्रतिस्थापित किया जाएगा। (ii) शर्त (6) के बाद और व्याख्या से पहले निम्नलिखित पैराग्राफ प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत: :— ''2 अंतिम वस्तुओं के विनिर्माण के लिए अपेक्षित उक्त सामग्रियां जब भारत में आयात की जाती हैं और निर्यातोन्मुखी इकाई, विशेष आर्थिक जोन, इलैक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टैक्नॉलॉजी पार्क और साफ्टवेयर टैक्नॉलॉजी पार्क को इनकी आपूर्ति की जाती है तो उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिसूचना की प्रथम अनुसूची के तहत उन पर उद्ग्रहणीय समस्त सीमाशुल्क से तथा उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिसूचना

का धारा 3, 8 और 9क क तहत क्रमश: उन पर उद्ग्रहणीय समस्त अतिरक्त शुल्क, सुरक्षोपाय शुल्क और पाटन रोधी शुल्क से पैराग्राफ 1 में अल्लिखित शर्तों के अध्यधीन छूट प्राप्त होगी।"

[फा. सं. 605/01/2003-प्रतिअदायगी]

आलोक झा, अवर सचिव

टिप्पणी : मूल अधिसूचना सं. 43/2002-सीमाशुल्क, दिनांक 19 अप्रैल, 2002 को सा.का.नि. सं. 292 (अ), दिनांक 19 अप्रैल, 2002 के जरिए भारत सरकार के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसे अंतिम बार अधिसूचना सं. 125/2002-सीमाशुल्क, दिनांक 12 नवम्बर, 2002 द्वारा सा.का.नि. सं. 760(अ), दिनांक 12 नवम्बर, 2002 के जरिए संशोधित किया गया था। मूल अधिसूचना सं. 45/2002-सीमाशुल्क, दिनांक 22 अप्रैल, 2002 को सा.का.नि. सं. 760(अ), दिनांक 12 नवम्बर, 2002 के जरिए भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसे अंतिम बार अधिसूचना सं. 125/2002-सीमाशुल्क, दिनांक 12 नवम्बर, 2002 द्वारा सा.का.नि. सं 760(अ), दिनांक 12 नवम्बर, 2002 के जरिए संशोधित किया गया है मूल अधिसूचना सं. 46/2002-सीमाशुल्क, दिनांक 22 अप्रैल, 2002 को भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. सं. 299(अ), दिनांक 22 अप्रैल, 2002 के जरिए प्रकाशित किया गया था और इसे अंतिम बार अधिसूचना सं. 125/2002-सीमाशुल्क, दिनांक 12 नवम्बर, 2002 द्वारा सा.का.नि. सं. 760(अ), दिनांक 12 नवम्बर, 2002 के जरिए संशोधित किया गया है। मूल अधिसूचना सं. 47/2002-सीमाशुल्क, दिनांक 22 अप्रैल, 2002 को भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. सं. 300(अ), दिनांक 22 अप्रैल, 2002 के जरिए प्रकाशित किया गया था और इसे अंतिम बार अधिसूचना सं. 113/2002-सीमाशुल्क, दिनांक 16 अक्तूबर, 2002 द्वारा सा.का.नि. सं. 704(अ), दिनांक 16 अक्तूबर, 2002 के जरिए संशोधित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st April, 2003

No. 57/2003-CUSTOMS

G.S.R. 281(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government , being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby directs that each of the notifications of the Government of India in the erstwhile Ministry of Finance (Department of Revenue), specified in column (2) of the Table below, shall be further amended, in the manner as specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely :-

TABLE

S.No.	Notification No. and date	Amendments
(1)	(2)	(3)
1.	43/2002-Customs, dated the 19th April, 2002	In the said notification , (i) in the proviso to condition (iv), for the words "by special order" the words "by special order or by a public notice" shall be substituted ; (ii) in the Explanation, in clause (iii), after sub clause (d), the following shall be inserted, namely :- 'Explanation:- For the purposes of this clause, "manufacture" has the same meaning as assigned to it in paragraph 9.30 of the Export and Import Policy'.
2.	45/2002-Customs dated the 22nd April, 2002	In the said notification, (i) in condition (iv), after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:- "Provided also that in respect of Duty Entitlement Pass Book issued against supplies to a unit in Special Economic Zone(SEZ), this condition shall apply for the purpose of permitting import of goods."; (ii) in the Explanation, after clause (ii), the following clause shall be inserted namely:- '(iii) "Special Economic Zone (SEZ)" has the same meaning as assigned to it in paragraph 9.48 of the Export and Import Policy'.

3.	46/2002-Customs, dated the 22nd April, 2002	In the said notification, (i) in condition (ii), in clause (b) for the words " resultant product" the words "resultant product or excise certified invoice number(s) and date(s) with value in Indian Rupees in the case of supplies made under deemed export scheme in terms of paragraph 8.2 of the Export and Import Policy" shall be substituted;
		(ii) in condition (iv), after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:- "Provided further that in case of supplies made under deemed export scheme in terms of paragraph 8.2 of the Export and Import Policy, import of materials may be permitted from any of the seaports, airports, inland container depots or land customs stations specified in this condition".
4.	47/2002 dated the 22nd April., 2002	In the said notification, (i) in condition (6), for the words "imports and exports", wherever they occur, the word "imports" shall respectively be substituted. (ii) after condition (6) and before the Explanation, the following paragraph shall be substituted, namely:- "2. The said materials required for the manufacture of the final goods, when imported into India and supplied to Export Oriented Unit, Special Economic Zone, Electronic Hardware Technology Park and Software Technology Park, shall be exempted from the whole of the duty of customs leviable thereon, under the First Schedule to the said Customs Tariff Act and from the whole duty and anti-dumping duty leviabale thereon respectively under section 3, 8 and 9A of the said Customs Tariff Act subject to the conditions mentioned in paragraph 1."

[F. No. 605/01/2003-DBK]
ALOK JHA, Under Secy.

Note.— The Principal Notification No. 43/2002-Customs, dated the 19th April, 2002 was published in the Government of India, Extraordinary vide G.S.R. 292(E) dated the 19th April, 2002 and it was last amended by Notification No. 125/2002-Customs dated the 12th November, 2002. The Principal Notification No. 435/2002-Customs, dated 22nd April, 2002 and it was last amended by notification No. 125/2002-Customs dated the 12th Novermber, 2002. The Principal Notification No. 46/2002-Customs, dated the 22nd April, 2002 published in Government of India Extraordinary Vide G.S.R. No. 299(E) dated 22nd April, 2002 and it was last amended by Notification No. 125/2002-Customs dated the 12th Novemeber, 2002. The Principal Notification No. 47/2002-Customs, dated the 22nd April, 2002 was published in Government of India, Extrodinary vide G.S.R. 300(E) dated, the 22nd April, 2002 and it was last amended by Notification No. 113/2002-Customs dated, the 16th October, 2002 vide G.S.R. 704(E) dated the 16th October, 2002.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, [illegible]lhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-1[illegible]